

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01082025-265155
SG-DL-E-01082025-265155असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 145
No. 31]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947	[N. C. T. D. No. 145

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

सं. 162/नियम / डीएचसी.—दिल्ली राजपत्र (असाधारण), संख्या 25, भाग II खंड, 1 (रा. रा. क्षे. दि. संख्या 118) में दिनांक 7 जुलाई 2025, को प्रकाशित, "इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025" से संबंधित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना, दिल्ली उच्च न्यायालय, संख्या 36/नियम/डीएचसी दिनांक 4 जुलाई 2025 में नामतः

- नियम 2(1)(घ) में, अंक "5" को "9" पढ़ा जाए;
- अध्याय II (सामान्य सिद्धांत-1) में, अंक "4" को 'बीएनएसएस प्रावधानों के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यान्वयन' शीर्षक से पहले जोड़ा जाता है; तथा
- नियम 9(5) में, अंक "3.4.1" को "9. (4).1" पढ़ा जाए।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**CORRIGENDUM**

Delhi, the 30th July, 2025

No. 162 /Rules/DHC.—In the Notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the High Court of Delhi, No. 36/Rules/DHC dated 4th July 2025 relating to "Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025" published in Delhi Gazette (Extraordinary), No. 25, Part II Section, 1 (NCTD No. 118) dated 7th July 2025, namely:—

- (i) In Rule 2(1)(d), the figure "5" be read as "9";
- (ii) In Chapter II (General Principles-1), the figure "4" stands inserted before the heading 'Implementation of Video Conferencing under BNSS Provisions'; and
- (iii) In Rule 9(5), the figure "3.4.1" be read as "9.(4).1".

By order of the Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General